



# SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION



Memo No. 13/SMC/G

Dated 05/04/2025

## PUBLIC NOTICE

As approved in the Mayor-in-Council meeting dated 22.03.2025 & subsequently considered in the Board of Councillors meeting dated 28.03.2025, it is hereby ordered that pursuant to this Office Notification No. 654(4)/SMC/G, dated 18.03.2025 regarding mandatory inclusion of Bengali language on top of all signboards, different business organizations appealed before the authority to extend the period for compliance of the order. The matter was discussed and decided that in order to enable different business organization to comply with the above mentioned notification, all concerned establishments will be given extension for the period up to 30.06.2025.

This Order will take immediate effect.

Sd/-  
Commissioner  
Siliguri Municipal Corporation



# শিলিগুড়ি পৌর নিগম



বিজ্ঞপ্তি নং : ১৩/এস.এম.সি./জি

তাং : ০৫/০৪/২০২৫

## জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ২২.০৩.২০২৫ তারিখের মেয়র পারিষদের সভায় গৃহীত এবং পরবর্তীতে ২৮.০৩.২০২৫ তারিখে বোর্ড অফ কাউন্সিলারের সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 654(4)/SMC/G, dated 18.03.2025 বিজ্ঞপ্তিনামার মাধ্যমে প্রতিটি লেখাফলক (সাইনবোর্ড) অন্যান্য ভাষার সাথে সবার উপরে বাংলা ভাষায় লেখার যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তার কার্যকরণের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বে-সরকারী সংগঠন পুরকর্তৃপক্ষের কাছে সময় বৃদ্ধির আবেদন জানায়।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করার মেয়াদ ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বাড়ানো হবে।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

Sd/-

কমিশনার  
শিলিগুড়ি পৌরনিগম



## SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION



Memo No. 13/SMC/G

Dated 05/04/2025

### \*सार्वजनिक सूचना\*

मेयर-इन-काउंसिल की बैठक (दिनांक 22.03.2025) में अनुमोदित और बोर्ड ऑफ काउंसिलर्स की बैठक (दिनांक 28.03.2025) में विचार किए जाने के बाद, यह आदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय के अधिसूचना संख्या 654(4)/SMC/G, दिनांक 18.03.2025 के अनुसार, सभी साइनबोर्ड्स पर बांग्ला भाषा का अनिवार्य रूप से शीर्ष पर उल्लेख किया जाना है। विभिन्न व्यावसायिक संगठनों ने इस आदेश का पालन करने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस मामले पर चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि उक्त अधिसूचना का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को 30.06.2025 तक की अतिरिक्त अवधि प्रदान की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Sd/-  
कमिश्नर  
सिलीगुड़ी नगर निगम\*\*



## SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION



Memo No. 13/SMC/G

Dated 05/04/2025

### \*सार्वजनिक सूचना\*

मेयर-इन-काउंसिलको बैठक (मिति 22.03.2025) मा स्वीकृत र बोर्ड अफ काउन्सिलरको बैठक (मिति 28.03.2025) मा विचार गरिएपछि, यो आदेश दिइएको छ कि यस कार्यालयको सूचना नं. 654(4)/SMC/G, मिति 18.03.2025 अनुसार सबै साइनबोर्डहरूको शीर्षमा बांग्ला भाषा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूले यस आदेशको पालन गर्न अवधि बढाउन अधिकारीसमक्ष अपील गरेका थिए। यस मामलामा छलफल गरिएर निर्णय लिइएको छ कि उक्त सूचनाको पालना गर्न सबै सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूलाई 30.06.2025 सम्मको अतिरिक्त समय दिइनेछ। यो आदेश तुरुन्तै प्रभावमा हुनेछ।

Sd/-

कमिशनर

सिलीगुड़ी नगरपालिका